भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2312

(दिनांक 21.12.2022 को उत्तर के लिए)

अनारक्षित सीटों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नौकरी

2312. श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा सामान्य उम्मीदवारों के बराबर या उनसे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में अनारक्षित सीटों पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : केन्द्र सरकार के पदों और सेवाओं के लिए लागू अनुदेशों के अनुसार, सामान्य उम्मीदवारों पर लागू होने वाले मानकों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित रिक्तियों पर समायोजित किया जाएगा।

******